सं.एनएस-एमआईएससी0ओटीएचआर/61/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)
भारत सरकार
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
https://prgi.gov.in

दिनांक: 09.09.2025

एड्वाइजरी संख्या 33/2025

विषय: प्रकाशकों को प्रेस एवं नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के वार्षिक विवरण फ़ाइल करने से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में दूसरी सार्वजनिक सूचना

यह एड्वाइजरी इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.05.2025 को जारी एड्वाइजरी (2025 की 18) के क्रम में जारी की जा रही है। उक्त एड्वाइजरी उन प्रकाशकों से संबंधित है जिनकी पत्रिकाओं को "निष्क्रिय श्रेणी" में वर्गीकृत किया गया है और उनका पंजीकरण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

2. यह देखा गया है कि अनेक प्रकाशकों ने प्रथम सूचना जारी होने के 90 दिन समाप्त हो जाने के बाद भी अपने पंजीकरण को पुनः सक्रिय करने के लिए अपेक्षित **प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्र** प्रस्तुत नहीं किया है।

3. चूँकि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अब समाप्त हो चुकी है, प्रकाशकों को एक बार फिर निर्दिष्ट प्राधिकारी या संबंधित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी **प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्र** प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्र, प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से भी अपलोड और प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. 31 अक्तूबर, 2025 से पहले **प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्र** प्रस्तुत न करने पर, प्रेस एवं नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, बिना किसी पूर्व सूचना के, उन सभी निष्क्रिय (Defunct) पत्रिकाओं का पंजीकरण स्थायी रूप से निलंबित/रद्द कर दिया जाएगा, जिन्होंने कई वर्षों से वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

यह सूचना प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी की गई है।

उप प्रेस महापंजीयक